

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-8 -
संख्या-259012/2024/01(120)/XXVII(8)/2024,CTR-03
देहरादून दिनांक :: 06 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है ;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8- की अधिसूचना संख्या 518/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात्, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु यह कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को 'प्री- पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।"

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

Signed by

Anand Bardhan

Date: 06-12-2024 17:43:01

अपर मुख्य सचिव

सं० 259012 / 2024 / 01(120) / XXVII(8) / 2024 / CTR-03, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त-8, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0।
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

Signed by

Bharat Bhushan Mathpal

Date: 06-12-2024 10:46:24

आज्ञा से,

(बी0बी0 मठपाल)

अपर सचिव

8691
10/12/24

.....अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 259012 / 2024/01(120)/XXVII(8)/2024, dated 06 December, 2024 for general information

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 259012/2024/01(120)/ XXVII(8)/2024, CT R-03

Dehradun :: Dated 06 December, 2024

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 518/2017/9(120)/XXVII (8)/2017 dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, after the Schedule, in the Explanation, in clause (ii), after the entries relating thereto, the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided that notwithstanding anything contained in the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder, as amended from time to time, the supply of agricultural farm produce in package(s) of commodities containing quantity of more than 25 kilogram or 25 litre shall not be considered as a supply made within the scope of expression ‘pre-packaged and labelled’.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 15th day of July, 2024.

Signed by

Anand Bardhan

(Anand Bardhan)

Date: 05-12-2024 17:43:29
Additional Chief Secretary.